



# इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रयागराज -211002, उ०प्र० (भारत)  
UNIVERSITY OF ALLAHABAD  
PRAYAGRAJ -211002, U.P. (INDIA)



पत्रांक: रा.भा. मंत्रा./अनुपालन/2023/152

दिनांक: 24.04.23

## कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्राधीन कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण अनवरत जारी है। इन निरीक्षणों के दौरान समिति ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कई कार्यालयों का निरीक्षण निरस्त/स्थगित किया है तथा संबंधित मंत्रालय को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2022-23 की चतुर्थ तिमाही की बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन के क्रम में निम्नलिखित विषयों पर कार्य करना सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

3. कृपया इस संदर्भ में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें यदि भविष्य में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो उक्त के उल्लंघन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्मिक की होगी।

1. सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना।
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना।
3. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद संलग्न होगा।
4. पंजिकाओं (रजिस्ट्रों) के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखना।
5. लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना।
6. फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना।
7. यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीद।
8. प्रपत्र (फार्मों), कोडों, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य और राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन।
9. रबड़ की मुहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना।
10. सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी भाषा में अंकित करना।
11. विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशन।
12. वेबसाइट का द्विभाषीकरण।
13. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करना।
14. हिंदी पुस्तकों की खरीद।
15. हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी :- कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना।
16. द्विभाषिक प्रारूप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी होगा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
UNIVERSITY OF ALLAHABAD

इलाहाबाद विश्वविद्यालय / UNIVERSITY OF ALLAHABAD

कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को यथासमय अवगत करना सुनिश्चित करें।

तरेन्द्र कुमार शुक्ल

अध्यक्ष एवं कुलसचिव, 24/4/23

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इ.वि.वि.

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/प्रशासनिक प्रमुख।
2. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त संघटक महाविद्यालय, इ.वि.वि.
3. आई.सी.टी. सेल- वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदया को सादर सूचनार्थ।

संतोष शर्मा  
24.04.2023

संयोजक,

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इ.वि.वि.